न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 53/24 (225 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/104

उनवान

रामखिलाड़ी पुत्र पूरना जाति बाबाजी निवासी–टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. चिम्मन पुत्र कल्ला
2. प्रकाश पुत्र कल्ला
3. सुरेश पुत्र कल्ला

} जाति बैरागी निवासी–लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. सब रजिस्ट्रार लखनपुर

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 04/2022 बउनवानी चिम्मन वगै. बनाम रामखिलाडी वगै. में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.05.2026**

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 04/2022 बउनवानी चिम्मन वगै. बनाम रामखिलाडी वगै. में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट असल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1039/0.35, 1046/0.04, 1047/0.10, 964/0.18 कुल किता 4 रकबा 0.67 हैक्ट. वाके ग्राम लखनपुर तहसील भरतपुर स्थित है। उक्त विवादित आराजी उनके पैत्रिक माफी की आराजी है, जो उन्हें उनके पिता से मरणोपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं. 2019 में गत खसरा नम्बर 698/2–18, 699/1–3, 701/0–16 पर गलती से अप्रार्थीगण के पिता पूरना पुत्र तोता को सिकमी दर्ज कर दिया था। जिसके आधार पर अप्रार्थी के पिता के मरणोपरान्त अप्रार्थी को आराजी मुत. पर खातेदार काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट असल को धमकी दी गई कि वे विवादित आराजी पर कब्जा करेगें। वदी वजह रेस्पोडेन्ट/असल ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ता.फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें तथा आराजी मुतनाजा के किसी भाग का अन्यत्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.03.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यथास्थिति का आदेश अंति निस्तारण की सीमा में नहीं आता है दोनों पक्षों की बहस सुनकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट असल द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए में यह अंकित किया कि सम्वत 2019 में पूरना पुत्र तोता को शिकमी दर्ज कर दिया जबकि यह असत्य है सम्वत 2016 लगायत 2019 में साबिक खसरा नम्बर 643, 644, 698 एवं 701 पर खातेदारी में इन्द्राज अपीलान्ट के पिता के नाम है एवं सम्वत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते वक्त पूरना के शिकमी के इन्द्राज रहे हैं और उसके बाद उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट असल के पिता कभी भी विवादित आराजी पर खातेदार नहीं रहे हैं और ना ही कभी कब्जा रहा है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट की बहन अंगूरी, हेमलता, विमला, जयदेई के द्वारा रिलीज कैसे की जा सकती है जब वे ना तो खातेदार है और ना ही उनके पिता खातेदार हैं, कतई असत्य है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1039, 1046, 1047, 964 वाके ग्राम लखनपुर एवं साबिक आराजी ख.न. 698, 701, 643, 644 पर अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता लगातार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी रही है एवं कब्जा रहा है। रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण असल रेस्पोडेन्ट के पिता मनोहर एवं बाबा की माफी आराजी माना है। जबकि माफी आराजी किसके द्वारा दी गई एवं किससे माफी में प्राप्त हुई कही भी किसी भी दस्तावेज से स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण, असल रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में मानकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी असल रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में मानने मे अहम गलती की है। क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्ट असल का सिद्ध नहीं होता है। आराजी लम्बे अरसे से अपीलान्ट की खातेदारी के इन्द्राजों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इग्नोर करने मे अहम कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट असल के पूर्वजों ने भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों घटकों को सिद्ध नहीं किया गया है। विवादित आराजी सम्वत 2019 से लगातार अपीलान्ट की प्रविष्टियां हैं तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट के नाम 70 वर्ष से खातेदारी चली आ रही है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट असल की खातेदारी नहीं थी तथा रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में भी माफीदार लिखकर आए हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट खातेदार ही नहीं है तो संविदा कैसे होगा। अपीलान्ट विवादित आराजी पर से रेस्पोडेन्ट को कहां बेकब्जा कर रहा है जबकि रेस्पोडेन्ट का कब्जा ही नहीं है, रेस्पोडेन्ट अतिक्रमी भी नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माफी को भी विवेचित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बे अरसे से अपीलान्ट की खातेदारी के इन्द्राजों को अनदेखा करने में अहम कानूनी भूल की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2013(2) RRT 828, 2013 RBJ 95, 2018 RRT(2) 1275, 2023(2) RRT 938, 2013(2) RRT 820, 1996 RBJ 406, 2026(1) RRT 256, 2013 RBJ 543 न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 को निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी अपील बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी के प्रत्येक समभाग पर रेस्पोडेन्ट असल खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट व तरतीवी प्रतिवादीगण के बाबा मनोहर दास उक्त आराजी पर सं. 2012 से पूर्व से ही काश्त करते रहे थे तथा लगातार जमींदार विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने तक सं. 2009–12 तक बाबा मनोहरदास व पिता कल्ला की काश्त रही थी। विवादित आराजी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की बहन अंगूरी, हेमलता, विमला एवं जयदेई ने दिनांक 30.12.1998 को रिलीजडीड प्रार्थीगण के नाम करवा दी थी। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के पिता कल्ला व बाबा लुढकन की सं. 2012 से 2015 की जमाबंदी में खाता सं. 457, 458, 459, 460 एवं सं. 2011 में 469, 470 खाता सं. माफीदारी एवं खुदकाश्त में अंकित और वास्तविक काश्त में भी रही थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2022 को रेस्पोडेन्ट असल द्वारा पेश दस्तोजात के आधार पर अन्तिम स्टे दिया गया है। रेस्पोडेन्ट का दावा घोषणा का था। रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तीनों बिन्दू तय किए गए हैं। रेस्पोडेन्ट ने दावा अंतर्गत धारा 88,89,18 का पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित है कि पैतृक माफीदार की आराजी है। जब सं. 2012 में रेस्पोडेन्ट की काश्त थी तो खातेदारी मिलेगी ही। अपीलान्ट को उक्त भूमि किस आधार पर मिली है इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2022 को जो तथ्य लिखे गए है वह तथ्य दिनांक 26.03.2024 के आदेश में नहीं लिखे गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखी है।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.05.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट असल ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1039/0.35, 1046/0.04, 1047/0.10, 964/0.18 कुल किता 4 रकबा 0.67 हैक्ट. वाके ग्राम लखनपुर तहसील भरतपुर स्थित है। उक्त विवादित आराजी उनके पैत्रिक माफी की आराजी है, जो उन्हें उनके पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

से मरणोपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं. 2019 में गत खसरा नम्बर 698/2–18, 699/1–3, 701/0–16 पर गलती से अप्रार्थीगण के पिता पूरना पुत्र तोता को सिकमी दर्ज कर दिया था। जिसके आधार पर अप्रार्थी के पिता के मरणोपरान्त अप्रार्थी को आराजी मुत. पर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट असल को धमकी दी गई कि वे विवादित आराजी पर कब्जा करेगें। वदी वजह रेस्पोडेन्ट/असल ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ता.फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें तथा आराजी मुतनाजा के किसी भाग का अन्यत्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.03.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं द्वारा "जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2022 ताफैसला मुकदमा निस्तारण तक आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना करें तथा डौर मेड़ ना तोडे" के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।

अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण करते समय तीनो बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस के विवेचन में माना है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक माफी की आराजी है जो उन्हें उनके पिता से मरणोपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है, प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 4 के बाबा मनोहर दास उक्त आराजियात पर सम्वत 2012 से पूर्व से ही काश्त करते रहे हैं तथा लगातार जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने तक सम्वत 2009–2012 तक बाबा मनोहरदास व पिता कल्ला की काश्त रही है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2012 से साबित होता है एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–2012 में लगातार जमिंदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने तक प्रार्थीगण के बाबा मनोहरदास के पिता कल्ला के नाम काश्त रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 एवं 2060 के अनुसार गत एवं हाल खसरा नम्बरानों का मिलान हो रहा है, प्रार्थीगण के पूर्वज आराजी पर खातेदार काश्तकार काबिज रहे हैं एवं इनके चाचा लुढकन जो लाऔलाद विला औरत फौत हुए हैं, उनके वारिसगण प्रार्थीगण ही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2019 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका एवं कानून के खिलाफ अप्रार्थीगण के पिता पूरना पुत्र तोता को शिकमी दर्ज कर दिया गया। जिसका दर्ज करने का आधार स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के जो खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के पिता के नाम किये गए हैं, जो मौका व कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी विवेचन किया है कि वादीगण के हक में पुत्रियों द्वारा जो रिलिज कराई गयी है उन रिलिजों में कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं किए जाते थे तथा प्रतिवादी द्वारा भी अपने जबाब में भी विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त ही माना है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों से भी साबित होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के खाता सं. 415, 417, 418 एवं 460 में वादग्रस्त खसरा नम्बरान की प्रविष्टियों में कल्ला, लुढ़कन पिसरान मनोहर, कल्ला वगैरह दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2011 के खाता सं. 465, 467, 469, 470 के अवलोकन से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रविष्टियां कल्ला व लुढ़कन पिसरान मनोहरदास, एवं अप्रार्थीगण साजादार एवं शिकमी की हों। जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 में प्रार्थीगण की प्रविष्टि खाता सं. 39 में है। इसी जमाबन्दी के खाता सं. 41 कल्ला, लुढ़कन पिसरान मनोहर की प्रविष्टि एवं खाता सं. 42 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की निष्फ–निष्फ प्रविष्टि है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया साबिक राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि प्रार्थीगण द्वारा जो खातेदारी की घोषणा चाही गयी है वह वादपत्र में तनकीयात कायम की जाकर एवं साक्ष्य लेकर मेरिट पर तय किए जावेगें। तब तक विवाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है ताकि बेजातौर पर मुकदमेंबाजी न बढ़े एवं मौके पर किसी तरह की विवाद की स्थिति न बने, साथ ही विवादित आराजियात खुर्द–बुर्द न हो, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष बखुबी साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही साबित होता है एवं अपूरणीय क्षति भी सम्भावित है।

इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का यह मत है कि मूल दावा पर साक्ष्य के बाद ही तय हो सकेगा कि वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण का क्या हक, हिस्सा, अधिकार बनता है। चूंकि अप्रार्थीगण लम्बे समय से वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से हम सहमत नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है क्योंकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं कर सके हैं कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार हैं और जब तक अन्यथा प्रतीत नही कर दिया जावे कब्जा रिकार्डेड खातेदार का ही माना जाएगा। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर भी विचार किया जाने पर कि चूंकि प्रार्थीगण घोषणा का दावा लेकर आए हैं और अगर दौराने दावा विवादित भूमि का बेचान, हस्तान्तरण हो जाता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की कानूनी जटिलताए बढेगी और इससे प्रार्थीगण को असुविधा का एवं अपूरणीय क्षति होना संभावित है। इसके विपरीत भूमियों का हस्तान्तरण रोके जाने पर अप्रार्थीगण को कोई असुविधा अथवा क्षति होने की सम्भावना प्रकट नहीं होती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 26.03.2024 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1039/0.35, 1046/0.04, 1047/0.10, 964/0.18 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई का बेचान, हस्तान्तरण, मुन्तकिल नहीं करें।
10. निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर